कार्यालयः जिला कार्यक्रम अधिकारी, शामली

पत्रांकः /जि0का0अ0/वाहन/2018–19 दिनांक 18/07/18

सूचना/विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 सी0–356/बा0वि0परि0/नजारत/2018–19 दिनांक 14.05.2018 के क्रम में चल वित्तीय वर्ष 2018–19 में 31 मार्च 2019 तक जनपद की 04 बाल विकास परियोजनाओ (शामली, कैराना, ऊन एवं थानाभवन) हेतु वाहन किराये पर निम्न प्रतिबन्धो के साथ मुहरबन्द निविदाएं दिनांक 31.07.2018 की अपरान्ह 02:00 बजे तक स्थान कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी (कल्याण भवन) बनत, में आमंत्रित किये जाते है। प्राप्त निविदाओ को दिनांक 31.07.2018 को अपरान्ह 03:00 सम्बन्धित समिति के समक्ष खोला जाएगा तथा वाहन चयन की कार्यवाही की जाएगी।

1. प्रत्येक वाहन के लिये 01 वर्ष हेतु रू0 2.50 (रू0 दो लाख पचास हजार) अर्थात अधिकतम रू0 20800/– (रू0 बीस हजार आठ सौ मात्र) प्रतिमाह की धनराशि व्यय की जाएगी। इसमें वाहन पर आने वाले सभी व्यय (किराया, ईंधन, मरम्मत व चालक का वेतन इत्यादि) सम्मिलित है।
2. वाहन टैक्सी के रूप में पजीकृत होना अनिवार्य है।
3. वाहन का पंजीकरण, बीमा होना अनिवार्य है, जिसकी प्रमाणित प्रति एवं चालक के ड्राईविंग लाईसेंस की प्रमाणित प्रति निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
4. प्रत्येक वाहन हेतु अलग–अलग निविदा फार्म का उपयोग किया जाएगा तथा निविदा में वांछित विकासखण्ड/परियोजना का उल्लेख न होने की स्थिति में जनपद में आवश्यकतानुसार किसी भी विकासखण्ड में उक्त वाहन को लगाने का अधिकार सम्बन्धित समिति का होगा। वाहन स्वामी को वाहन किराये के भुगतान हेतु दूरी का निर्धारण सम्बन्धित विकासखण्ड/परियोजना मुख्यालय से किया जाएगा। वाहन किराये का भुगतान स्वीकृत दर से माह में चली गयी कुल दूरी के सापेक्ष किया जाएगा, जो कि किसी भी दशा में रू0 20800/– (रू0 बीस हजार आठ सौ मात्र) प्रति माह से अधिक नहीं होगा। वाहन चालक द्वारा प्रतिदिन चली गयी दूरी का लॉग बुक में अंकन कर उसे सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी से प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा।
5. वाहन का निविदा फार्म रू0 100/– प्रति फर्म की दर से कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, कल्याण भवन, बनत से प्राप्त किया जा सकता है।
6. वाहन 05 वर्ष से पूर्व का न हो। विशेष परिस्थिति में वाहन की स्थिति को देखकर निर्णय लिया जाएगा।
7. किसी भी वाद विवाद की स्थिति में जनपद न्यायालय ही मान्य होगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
शामली

पृष्ठांकन 8–252 **तददिनांक**

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, शामली।
3. मुख्य विकास अधिकारी, शामली।
4. एन0आई0सी0 प्रभारी को इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन एन0आई0सी0 पोर्टल पर कराने का कष्ट करे।
5. सम्पादक, अमर उजाला, दैनिक समाचार पत्र को इस आशय के साथ कि वह उपरोक्त विज्ञप्ति न्यूनतम फॉन्ट एवं न्यूनतम शासकीय दर पर अपने दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराने के साथ 02 प्रतियों में बिल अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
6. व्यक्तिगत पत्रावली।

18.07.18

जिला कार्यक्रम अधिकारी
शामली

Scanned by CamScanner